



2026:AHC:60084

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1732/2026

गीता चंद्रायाची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रत्यर्थी (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अतुल कुमार शाही, उमेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : अवनीश त्रिपाठी, सी.एस.सी., महेंद्र नारायण सिंह

ए.एफ.आर.

सुरक्षित दिनांक 16.3.2026

निणीत दिनांक 24.3.2026

एवं अन्य सम्बद्ध मामले

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री अशोक खरे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री सिद्धार्थ खरे, श्री कुणाल शाह एवं श्री अतुल कुमार शाही द्वारा की गयी, श्री ललित कुमार श्रीवास्तव, सक्षम श्रीवास्तव, श्री विपुल पाण्डेय, नीताभ श्रीवास्तव, कृतिका सिन्हा, श्री सुनील कुमार शुक्ला, श्री राहुल मिश्रा, श्री अखिलेश कुमार तिवारी, हाशिम खान, तथा श्री तरुण अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री प्रशांत मिश्रा एवं श्री अनूप बरनवाल ने की, तथा प्रतिवादी आयोग की ओर से श्री संजीव सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा की गयी, श्री अवनीश त्रिपाठी एवं श्री संजय कुमार ओम को सुना गया।

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (केंद्रीकृत) सेवा सहायक निबंधक परीक्षा-2024 हेतु विज्ञापन संख्या A-5/E-1/2024, दिनांक 28.8.2024 को जारी किया गया था।

3. वर्तमान रिट याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ताओं ने उक्त परीक्षा के लिए आवेदन किया था और वे इस बात से व्यथित हैं कि यद्यपि उनके पास यथापेक्षित 7 वर्ष का अनुभव है, तथापि उनकी संबंधित अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया गया और तदनुसार उनकी संबंधित अपीलों को भी खारिज कर दिया गया।

4. वर्तमान मामले में लागू होने वाले सेवा नियम, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केंद्रीकृत) सेवा नियमावली, 1975 हैं। उपर्युक्त नियमों का नियम 13, केंद्रीकृत सेवा के अंतर्गत किसी पद के लिए अर्हता का उपबंध करता है, जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:-

“13. अर्हताएं.—केंद्रीकृत सेवाओं के अंतर्गत किसी भी पद के लिए अभ्यर्थी के पास वह अपेक्षित अर्हता अवश्य होनी चाहिए जो आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन से विहित करे।”

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. संबंधित पद के लिए अर्हता एक सरकारी अधिसूचना दिनांक 21.2.1980 के माध्यम से अधिसूचित की गई थी कि “किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य करने का अनुभव जिसके साथ अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में आलेखन का ज्ञान तथा लेखा नियमों का ज्ञान हो”।

6. उपर्युक्त संदर्भित पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात कुछ संशोधनों के साथ निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं विहित की गईं:

“8. शैक्षिक अर्हताएं:-अनिवार्य (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो। (ख) किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य करने का अनुभव जिसके साथ अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में आलेखन का ज्ञान तथा लेखा नियमों का ज्ञान हो”

7. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास या तो किसी राजकीय कार्यालय में या किसी विश्वविद्यालय के कार्यालय में 7 वर्ष का कार्य अनुभव है, जबकि प्रतिवादियों का यह पक्ष रहा है कि वे राज्य द्वारा तत्पश्चात 19.6.2025 को जारी किए गए एक स्पष्टीकरण से बंधे हुए हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि “राजकीय कार्यालय से तात्पर्य राज्य सरकार के कार्यालय से है। उच्च शिक्षा के संस्थान, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय का तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार, अन्य किसी प्रदेश सरकारी अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित एवं उनके नियंत्रणाधीन हो”।

8. अब न्यायालय प्रत्येक याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए अग्रसर होता है।

(क). रिट संख्या 1732 वर्ष 2026.

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड में 'केबिन क्रू' के रूप में कार्यरत हैं और बाद में उसे उसी स्थान पर वित्त विभाग में 'सीनियर एसोसिएट' के रूप में पदोन्नत किया गया और उसे 17 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

यह याचिकाकर्ता का मामला हो सकता है कि इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड एक राज्य का उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और उसकी सेवा केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है, फिर भी कड़े निर्वचन में, यह 'राज्य या संघ' के अंतर्गत कोई 'राजकीय कार्यालय' नहीं है। नियोक्ता पद की आवश्यकतानुसार 'राजकीय कार्यालय' शब्द का प्रतिबंधित निर्वचन देने के लिए स्वतंत्र है। रिट अधिकारिता के अंतर्गत न्यायालय राज्य को 'राजकीय कार्यालय' शब्दों के दायरे का विस्तार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। किसी कर्मचारी को केवल तभी 'राजकीय कार्यालय' का कर्मचारी माना जाएगा जब उसकी सेवा राज्य या केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन हो। इसलिए उसके दावे को विधिसम्मत रूप से अस्वीकार कर दिया गया। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ख). रिट याचिका संख्या 1665 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एक सरकारी कंपनी) में सेवारत है। इस मामले में भी, उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 1732 सन् 2026 में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पूर्णतः लागू होता है, अतएव, उसके दावे को यथार्थ रूप से अस्वीकार किया गया था। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ग). रिट याचिका संख्या 1764 सन् 2026 और 2201 सन् 2026

उपर्युक्त दोनों रिट याचिकाएं एक ही याचिकाकर्ता द्वारा योजित की गई हैं, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सेवारत है और जैसा कि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि उसके दावे पर पुनर्विचार किया जाएगा क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केंद्र सरकार का एक कार्यालय है, अतएव, आक्षेपित आदेश दिनांक 14.1.2026 अपास्त किया जाता है और अपील में नए सिरे से आदेश पारित किए जाने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया जाता है। तदनुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(घ). रिट याचिका संख्या 2168 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक सरकारी उपक्रम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में सेवारत है, अतएव, रिट-सी संख्या 1732 सन् 2026 को खारिज करने हेतु दिए गए कारण वर्तमान मामले में पूर्णतः लागू होते हैं, अतएव, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ङ). रिट याचिका संख्या 2225 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 से 2019 तक वाहन निर्माणी, जबलपुर में कार्य किया है और तत्पश्चात सरकारी बालिका इंटर कॉलेज, प्रयागराज में कार्य किया है। निर्विवाद रूप से, वाहन निर्माणी, जबलपुर भारत सरकार का एक उद्यम है, तथापि, जैसा कि उपर्युक्त सद्धित रिट याचिकाओं में प्रेक्षित किया गया है, यह किसी भी सरकारी कार्यालय के अंतर्गत नहीं आएगा, अतएव, उसके दावे को यथार्थ रूप से अस्वीकार किया गया था। आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(च). रिट याचिका संख्या 2231 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक सरकारी उपक्रम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सेवारत है, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(छ). रिट याचिका संख्या 2232 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक सरकारी उपक्रम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सेवारत है, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ज). रिट याचिका संख्या 2237 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता राज्य सरकार के एक उपक्रम उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में सेवारत है, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(झ). रिट याचिका संख्या 2289 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया के कार्यालय में ई.एम.आई.एस. प्रभारी के रूप में संविदा के आधार पर सेवारत है। यह निर्विवाद है कि संविदा पर कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी सरकारी कार्यालय में नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता है, अतएव, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ञ). रिट याचिका संख्या 2427 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता राज्य सरकार के एक उपक्रम उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में सेवारत है, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिए गए कारणों के आधार पर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ट). रिट याचिका संख्या 3452 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक निजी विश्वविद्यालय तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में सेवारत है। आवश्यक अनिवार्य अर्हता किसी विश्वविद्यालय के कार्यालय में 7 वर्ष का अनुभव है। कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है कि क्या विश्वविद्यालय केंद्रीय, राज्य, निजी या किसी अधिनियम के अंतर्गत गठित है, अतएव, आक्षेपित आदेश दिनांक 13.2.2026 अपास्त किया जाता है और राज्य से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात अपील में नए सिरे से आदेश पारित किए जाने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया जाता है। तदनुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(ठ). रिट याचिका संख्या 2499 सन् 2026

यह रिट याचिका पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा योजित की गई है। याचिकाकर्ता-1 और 3 भारत संचार निगम लिमिटेड में सेवारत हैं, याचिकाकर्ता-2 एक सरकारी उपक्रम मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में सेवारत है, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

याचिकाकर्ता-4 (त्रिलोकीनाथ यादव) द्वारा अपने सेवा अनुभव के समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, अतएव, कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

जहां तक याचिकाकर्ता-5 (सौरभ तिवारी) का संबंध है, वह भारतीय खाद्य निगम के अधीन सेवारत है जिसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई थी, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ड). रिट याचिका संख्या 2516 सन् 2026

यह रिट याचिका 7 व्यक्तियों द्वारा योजित की गई है। याचिकाकर्ता-1 आयुध निर्माणी, जबलपुर में सेवारत है, तथापि, याचिकाकर्ता-2 से 6 आयुध निर्माणी, कानपुर (एक स्वतंत्र सरकारी निकाय) में सेवारत हैं, अतएव, उनकी सेवाएं भी किसी सरकारी कार्यालय के अंतर्गत नहीं आएंगी, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

जहां तक याचिकाकर्ता-7, अर्थात् दिलीप कुमार यादव का संबंध है, वह रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे में सेवारत है जो एक मानित विश्वविद्यालय है। न्यायालय यह पाता है कि रिट याचिका संख्या 3452 सन् 2026 में की गई टिप्पणियों के आलोक में उसके मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है,

अतएव, आक्षेपित आदेश दिनांक 2.2.2026 अपास्त किया जाता है और अपील पर नए सिरे से आदेश पारित किए जाने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया जाता है। याचिकाकर्ता संख्या 7 के संबंध में रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(ढ). रिट याचिका संख्या 3112 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता दतिया में माध्यमिक शिक्षक के रूप में सेवारत है और जैसा कि इस न्यायालय की लखनऊ पीठ की एक समकक्ष न्यायपीठ द्वारा रिट-ए संख्या 1755 सन् 2026, (मयंक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) 2026:एचसी.-एलकेओ:13223 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम संदीप श्रीराम वाराडे व अन्य, (2019) 6 एस.सी.सी. 362 में पारित एक निर्णय पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, उसके अनुभव को भी सहायक कुलसचिव के पद के लिए विचारणीय नहीं माना जा सकता है, अतएव, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, अतः तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ग). रिट याचिका संख्या 2996 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कंपोजिट स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेवारत है, अतएव, रिट संख्या 3112 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(त). रिट याचिका संख्या 2768 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने तत्पश्चात कर्मचारी राज्य बीमा निगम (एक निगमित निकाय) के अधीन सेवा की है, अतएव, रिट सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट सी संख्या 2168 सन् 2026 में दिए गए कारण वर्तमान मामले में भी लागू होंगे, अतएव, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(थ). रिट याचिका संख्या 3267 सन् 2026

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता भारत सरकार का एक उपक्रम प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में सेवारत है, अतएव, रिट-सी संख्या 1665 सन् 2026 और रिट-सी संख्या 2168 सन् 2026 में पारित आदेश में दिए गए कारणों के आधार पर, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(द). रिट याचिका संख्या 3473 सन् 2026

यह रिट याचिका पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा योजित की गई है।

याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 इंटर कॉलेज में शिक्षकों के रूप में सेवारत हैं और याचिकाकर्ता संख्या 3 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में सेवारत है तथा जैसा कि उपर्युक्त संदर्भित रिट-सी संख्या 3112 सन् 2026 में पारित आदेश में प्रेक्षित किया गया है, उनकी सेवाओं को किसी सरकारी कार्यालय की सेवा नहीं माना जा सकता है, अतएव, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 का संबंध है, वे बैंक ऑफ बड़ौदा और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में सेवारत हैं जो स्वतंत्र निकाय हैं और उनकी सेवाओं को किसी सरकारी कार्यालय की सेवा नहीं माना जा सकता है। अतएव, उपर्युक्त संदर्भित रिट याचिका संख्या 1732 सन् 2026 में दिए गए कारणों के आधार पर, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप का औचित्य नहीं बनता है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(ध). रिट याचिका संख्या 2486 सन् 2026

यह रिट याचिका पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा योजित की गई है।

याचिकाकर्ता संख्या 1 की सेवा एक निगमीय बैंक में है और अतएव, उपर्युक्त संदर्भित रिट याचिका संख्या 3473 सन् 2026 में पारित आदेश में दिए गए कारणों के आधार पर, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 का संबंध है, उनका अनुभव प्राथमिक शिक्षकों के रूप में कार्य करने का है, अतएव, उपर्युक्त संदर्भित रिट याचिका संख्या 3112 सन् 2026 में पारित आदेश में दिए गए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कारणों के आधार पर, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न). रिट याचिका संख्या 2686 सन् 2026

इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि 3 अभ्यर्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में 7 वर्ष का अनुभव रखने के आधार पर गलत तरीके से अर्ह[1] माना गया है। तथापि, न्यायालय यह पाता है कि याचिकाकर्ताओं का दावा खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि वर्तमान में नयन कुमार, शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) उ०प्र० प्रयागराज में प्रधान सहायक के रूप में सेवारत हैं, जो कि निर्विवाद रूप से एक सरकारी कार्यालय है और श्री सुरेंद्र कुमार सिंह शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) उ०प्र० प्रयागराज में वैयक्तिक सहायक के रूप में सेवारत हैं, जो कि यह भी एक सरकारी कार्यालय है, अतएव, साक्षात्कार के लिए उनके सम्मिलित किए जाने पर कोई भी आपत्ति आधारहीन है।

जहां तक तीसरे व्यक्ति के विवरण का संबंध है, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विवरण तथ्यों से मेल नहीं खाता है, अतएव, आपत्तियां खारिज किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी,)

24 मार्च, 2026

एसबी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"